

// कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ(म.प्र.) //

--: संशोधित निविदा ::--

इस न्यायिक जिला स्थापना पर कैंटीन का संचालन निर्धारित शर्तों के अध्याधीन करने हेतु ठेका दिया जाना है, जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थान दिनांक 25/04/2024 को प्रातः 11:00 बजे न्यायालय परिसर में उपस्थित होकर कैंटीन के ठेके हेतु खुली बोली/नीलामी में सम्मिलित हो सकते हैं।

--: निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 1- नीलामी में उपस्थित व्यक्ति को रूपये 5000/- जिला नाजिर के समक्ष अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। उक्त राशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी।
- 2- माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा "स्वच्छ न्यायालय अभियान" के अंतर्गत साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा।
- 3- कैंटीन का ठेका जिस निविदाकर्ता का स्वीकृत किया जावेगा, उसे ठेके की राशि का 3 माह की राशि एक मुश्त अग्रिम जमा कराना होगा।
- 4- ठेके की राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक आवश्यक रूप से जिला नाजिर, झाबुआ के पास जमा करनी होगी।
- 5- कैंटीन का मासिक ठेका राशि रूपये 30,000/- है। उक्त राशि से सबसे अधिक राशि की निविदा स्वीकार की जावेगी।
- 6- कैंटीन ठेकेदार द्वारा कोरोना गाईड लाइन का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- 7- कैंटीन ठेकेदार ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेगा, जिससे कि शासकीय संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित होती हो।
- 8- ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।
- 9- कैंटीन संचालक को स्वयं के व्यय पर विद्युत मीटर लगवाकर पृथक से विद्युत बिल का भुगतान करना होगा।
- 10- कैंटीन में विक्रय की जाने वाली सामग्री अमानक अथवा मिलावटी नहीं होगी, जांच में यदि खाद्य सामग्री मिलावट अथवा अमानक पायी जाती है तो कैंटीन का ठेका निरस्त किया जा सकेगा।
- 11- कैंटीन का ठेका आवंटन/निरस्त के संबंध में एकमात्र विवेकाधिकार प्रधान जिला न्यायाधीश का होगा।
- 12- कैंटीन ठेके की अवधि दो वर्ष अथवा आगामी आदेश तक के लिये होगी।
- 13- कैंटीन में किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ तम्बाकू, गुटखा आदि का विक्रय वर्जित रहेगा।
- 14- यदि ठेकेदार द्वारा निरंतर दो माह तक मासिक किराया अदा नहीं किया जाता है, तो उसकी संपूर्ण जमा सुरक्षा निधि राजसात की जाकर ठेका निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।
- 15- कैंटीन के ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक अथवा सिविल मामला लंबित नहीं होना चाहिए।

**वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
जिला झाबुआ (म.प्र.)**